

प्रेस प्रकाशनी

संसद का अंतरिम बजट सत्र, 2019, जो गुरुवार, 31 जनवरी, 2019 से आरंभ हुआ था, बुधवार, 13 फरवरी, 2019 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

2. सत्र के दौरान 14 दिनों की अवधि में कुल 10 बैठकें हुईं।

3. वर्ष का प्रथम सत्र होने के नाते, माननीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 2019 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री हुकुमदेव नारायण यादव द्वारा प्रस्तावित और श्री जगदंबिका पाल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 8 घंटे के स्थान पर 11 घंटे 16 मिनट का समय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। राज्य सभा में इसे श्री भुपेन्द्र यादव द्वारा प्रस्तावित और श्री विजय गोयल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 13.02.2019 को स्वीकृत किया गया।

4. बजट सत्र होने के नाते, यह सत्र मुख्य रूप से वित्तीय कार्य के निष्पादन के प्रति समर्पित रहा। सत्र के दौरान, शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा की गई। इस मद पर वित्त विधेयक, 2019 को मिलाकर 11 घंटे 31 मिनट का समय लगा। सदन में निरंतर व्यवधान के कारण, राज्य सभा में अंतरिम बजट पर चर्चा नहीं की जा सकी।

5. लोक सभा में विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 और वर्ष 2018-19 के लिए तीसरी अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक दिनांक 11.2.2019 को पुरःस्थापित, विचार और पारित किए गए जबकि वित्त विधेयक, 2019 दिनांक 12.02.2019 को पारित किया गया। राज्य सभा में इन विधेयकों को दिनांक 13.02.2019 को लौटाया गया।

6. सत्र के दौरान कुल 09 विधेयक (03 लोक सभा में और 06 राज्य सभा में) पुरःस्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 05 विधेयक पारित किए गए, राज्य सभा द्वारा 05 विधेयक पारित किए गए और संसद के दोनों सदनों द्वारा 4 विधेयक पारित किए गए। लोक सभा और राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

7. अंतरिम बजट सत्र के दौरान लोक सभा की उत्पादिता लगभग 89% व राज्य सभा की लगभग 8% रही।

16वीं लोक सभा के 17वें सत्र और राज्य सभा के 248वें सत्र (अंतरिम बजट सत्र, 2019) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2019
2. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3. विनियोग विधेयक, 2019

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019
3. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
5. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
6. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2019
2. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3. विनियोग विधेयक, 2019
4. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018
5. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
#स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2019
2. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3. विनियोग विधेयक, 2019
4. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019
5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2019
2. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019
3. विनियोग विधेयक, 2019
4. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

संशोधन स्वीकृत हुए।